न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	91/2025	20.02.2025	सुबेदार व अन्य बनाम इस्लामुद्दीन व अन्य	17.04.2026	1 लगायत 4

1 सुबेदार पुत्र श्री रामकिशन गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम जाखोलास खुर्द, तहसील बरनाला जिला सवाई माधोपुर।

2 कमलेश पुत्र श्री रामकिशन गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम जाखोलास खुर्द तहसील बरनाला जिला सवाई माधोपुर। —— अपीलार्थी

बनाम

1. इस्लामुद्दीन पुत्र मोलवक्स जाति मुसलमान निवासी धनोली जिला सवाई माधोपुर।
2. अहसान पुत्र मोलवक्स जाति मुसलमान निवासी धनोली जिला सवाई माधोपुर।
3. रूकसाना पुत्र मोलवक्स जाति मुसलमान निवासी धनोली जिला सवाई माधोपुर।
4. वकील पुत्र इस्माईल जाति मुसलमान निवासी गढी का गॉव तहसील सपोटरा।
5. आविद पुत्र इस्माईल जाति मुसलमान निवासी गढी का गॉव तहसील सपोटरा।
6. रहीस पुत्र इस्माईल जाति मुसलमान निवासी गढी का गॉव तहसील सपोटरा।
7. बिस्मिल्ला पुत्र इस्माईल जाति मुसलमान निवासी गढी का गॉव तहसील सपोटरा।
8. इस्ताक पुत्र खुर्शीद जाति मुसलमान निवासी गढी का गॉव तहसील सपोटरा।
9. इसरार पुत्र खुर्शीद जाति मुसलमान निवासी गढी का गॉव तहसील सपोटरा।
10. इस्पाक पुत्र खुर्शीद जाति मुसलमान निवासी गढी का गॉव तहसील सपोटरा।
11. जमीला पत्नि खुर्शीद जाति मुसलमान निवासी गढी का गॉव तहसील सपोटरा।
12. नजमुन पुत्री खुर्शीद जाति मुसलमान निवासी गढी का गॉव तहसील सपोटरा।
13. धोडी पुत्री खुर्शीद जाति मुसलमान निवासी गढी का गॉव तहसील सपोटरा।
14. सबीना बानों पुत्री खुर्शीद जाति मुसलमान निवासी गढी का गांव तहसील सपोटरा।
15. साजिया पुत्री खुर्शीद जाति मुसलमान निवासी गढी का गांव तहसील सपोटरा।
16. इसराना बानों पुत्री खुर्शीद जाति मुसलमान निवासी गढी का गांव तहसील सपोटरा।
17. आसिफा बानों पुत्री खुर्शीद जाति मुसलमान निवासी गढी का गांव तहसील सपोटरा।
18. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावड़ा जिला सवाई माधोपुर।
19. संरपंच ग्राम पंचायत खेडाबाढ रामगढ तहसील तलावड़ा जिला सवाई माधोपुर

—— रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:38 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री प्रेम प्रकाश जोशी

रेस्पोडेन्ट की ओर से :–विद्वान अभिभाषक श्री मोहसीन खॉन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 91/25 उनवान सुबेदार व अन्य बनाम इस्लामुद्दीन व अन्य

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील तहसीलदार तलावड़ा के रिमाण्ड पत्रावली 01/22 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 135 (2) में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 से अप्रसन्न होकर होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त निर्णय द्वारा तहसीलदार तलावड़ा ने राजस्व ग्राम जैतपुर पटवार मण्डल खेडाबाढरामगढ तहसील तलावड़ा के नामान्तकरण सं0 334 दिनांक 20.09.2005 खारिज कर मूल नामान्तकरण सं0 में अंकित खाता संख्या 46 एवं 145 में स्थित खातेदारी भूमि किता 5 एवं 7 कमश खातेदार सुगरा बेवा इस्माईल खाँ हिस्सा 1/6 एवं समसूद्दीन पुत्र इस्माईल पूर्ण खातेदार का नामान्तकरण मृतक शहजादी पत्नि मोलाबक्श पुत्री इस्माईल खाँ एवं जुमरत पत्नि इस्माईल पुत्री ईस्माईल खाँ के वारिसान के नाम खोले जाने के आदेश पारित किए है। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट को दिनांक 28.01.2026 व 17.03.2026 को जबाब/बहस प्रार्थना पत्र व अन्तिम बहस हेतु समय दिया गया । लेकिन रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा ना तो प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया ना ही बहस प्रार्थना पत्र तथा अन्तिम बहस सुनायी गई। दिनांक 25.03.2026 को अपीलार्थी पक्ष की बहस सुनी गई तथा रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता को आगामी दिनांक तक अपनी बहस सुनाने हेतु समय दिया गया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.03.2026 को भी अपनी बहस नहीं सुनाई गई। अतः अपीलार्थी पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि नामान्तकरण सं0 334 में विवादित भूमि के खातेदार सुगरा के फौत हो जाने के कारण उसके स्थान पर भूमि की खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 20.09.2005 सरपंच ग्राम पंचायत खेडा बाढ रामगढ द्वारा खुली जाँच कर एवं दस्तावेजात प्राप्त कर ग्राम पंचायत की (मजमे आम) मीटिंग में इस्लाम पुत्र नसरूद्दीन मुसलमान (रक्त वंशज) के नाम मृतक की मुस्लिम पारिवारिक रूढिनुसार तस्दीक कर दर्ज रिकार्ड किया गया। न्यायालय तहसीलदार तलावडा पीठासीन अधिकारी श्री कमल पचोरी द्वारा रिफण्ड पत्रावली संख्या 1/22 किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 135 (2) ता०रजू 16.11.2022 ता०निर्णय दिनांक 27.01.2025 उनवानी शहजादी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खेडा बाढ रामगढ पर अपना निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार तला[illegible] अपने निर्णय दिनांक 27.01.2025 में दर्शाया गया है कि निगरानी एल.आर.एक्ट 890/[illegible] न्याय[illegible] राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रार्थना पत्र विड्रो किये जाने के कारण न्यायालय अ[illegible] सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के अपील संख्या 32/2006 (76) राज.भू.रा. अधिनियम 1956 [illegible] दिनांक 26.11. 2010 खारिज किये जाने के कारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी [illegible] अपील संख्या 10/2005 उनवानी शहजादी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खेडाबाद रामगढ का निर्णय दिनांक 25.11.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

2006 यथावत रखा गया है। जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 20.09.2005 खारिज किया जाकर इस आशय से प्राप्त हुई है कि "जायज वारिसान के सम्बन्ध में उभय पक्षकारान को सुनकर पुनः नामान्तरकरण को निर्णित करें।" शहजादी एवं जुमरत फौत हो चुकी हैं, जिनके वारिसान के सम्बन्ध में तहसीलदार सवाई माधोपुर व सपोटरा से वारिसान की जांच करवाई गयी जो पत्रासवली पर मौजूद हैं एवं सभी हितधारकों को विधिवत सुनवाई का अधिमार देकर सुना गया, जिन्होने अपने बयान दर्ज करवाये जो पत्रावली पर मौजूद (शामिल) है। कायम कर अपना इकतरफा व मनमाना व दूषित निर्णय इस प्रकार पारित किया कि नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 20.09. 2005 खारिज किया जा चुका है। सुगरा एवं समसुद्दीन पूर्ण खातेदार का नामान्तरकरण मृतक शहजादी पत्नि मोलावक्स एवं जुमरत पत्नि इस्माईल के नाम खोले जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं मृतका शहजादी एवं जुमरत के वारिसान अपने निर्णय में अंकित कर बराबर बराबर हिस्सा खोला जावे, गलत व इकतरफा मनमाना व दूषित निर्णय पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपील अपीलान्ट निम्न कारणों के साथ अपील प्रस्तुत की है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 27.01.2025 किस्म 135(2) तहसीलदार तलावडा खिलाफ कानून व गलत तथ्यों एवं मनमाना दूषित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। समसुद्दीन नाऔलाद व सुगरा के फौती नामान्तरकरण (खोला जाना) बावत सरपंच ग्राम पंचायत खेडा बाढ़ रामगढ द्वारा अंकन किया गया है कि दिनांक 20.09.2005 को ग्राम पंचायत के कोरम के समक्ष नामान्तरकरण पेश हुआ, उपस्थित सादर ने बताया कि मृतक सुगरा बेवा इस्माईल के अनुसार अपने जेठ रहमान के पुत्र नसरू के पुत्र इस्लाम को सामाजिक रीति रिवाज व रूढ़ि अनुसार वर्ष 1981 में गोद (खोले) लिया गया है। सुगरा का अन्तिम संस्कार इस्लाम द्वारा किया गया है। सर्वसम्मति से मृतक सुगरा एवं समसू (सुगरा का अविवाहित पुत्र) के नाम अंकित खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण इस्लाम दत्तक पुत्र इस्माईल के नाम स्वीकार किया जाता है। इसी के अनुसार पटवार कागजात में अमल किया जावे। उक्त निर्णय के विरूद्ध जुमरत पत्नि इस्माईल निवासी गढी तहसील सपोटरा द्वारा अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट माननीय न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहां अपील दिनांक 18.11. 2019 को प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलान्ट द्वारा दिनांक 10.09.2020 को खारिज करवा ली गई है। जिसका हवाला निर्णय पारित करते समय तहसीलदार तलावडा द्वारा अंकित नहीं किया गया है। उनवानी प्रकरण इस्लाम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खेडा बाढ रामगढ़ तहसील तलावडा (सिविल प्रकरण) आ०तारीख 11.03. 2025 बावत आदेशात्मक घोषणा स्थायी व्यादेश विचारित प्रकरण का उल्लेख नहीं किया गया है। अदालत तहसीलदार तलावडा द्वारा दिनांक 27.01.2025 के 135(2) एल.आर.एक्ट के निर्णय में निर्णय दिनांक 25.11.2006 को यथावत रखना अकित किया है माना है. लेकिन निर्णय के आपरेटिव पार्ट में उभयपक्षकारान को सुनकर नामान्तरकरण निर्णित करने के निर्देशों पर गौर न कर इकतरफा मनमानी एवं दूषित निर्णय पारित किया है, जिसमें द्वितिय पक्ष को कोई सुनवाई का मौका तहसीलदार तलावडा द्वारा नहीं दिया गया और ना ही कोई दस्तावेजात एकत्रित किये गये हैं. ना ही सरपंच ग्राम पंचायत खेडा बाढ राम[illegible] इस्लाम दत्तक पुत्र को सुना गया है। इकतरफा निर्णय पारित कर आदेश [illegible] किये जाने योग्य है। उक्त भूमि अपीलान्ट द्वारा कयशुदा भूमि है, जिसमें वर्तमान [illegible] फसल सरसब्ज व कब्जे काश्त है। कय सम्बन्धी दस्तावेज रजिस्ट्री अपील के साथ संलग्न है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 3 इस्लामुद्दीन, अहसान, व रुकसाना पुत्र व पुत्री श्री मोलावक्स मुसल[illegible] निवासी धनोली तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

सवाई माधोपुर के स्थायी निवासी है। जबकि विवादास्प्रद प्रकरण ग्राम जैतपुर तहसील तलावडा है। इसी प्रकार रेस्पाडेन्ट संख्या 4 लगायत 16 आविद, रहीस, विसमिल्ला, इस्ताक, इसरार, इस्पाक, जमीला, नजुमुन, घोडी, सवीना बानो, साजिया, इसरार बानो, आसिफा बानो का अंकन किया गया है, स्पष्ट नहीं है। द्वितिय पक्ष ग्राम पंचायत एवं इस्लाम से किसी प्रकार की कोई जांच पडताल नहीं की गयी है एवं पैत्रिकता सम्बन्धी कोई जांच नहीं की गयी है. जो काविले निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत खेडा बाढ़ रामगढ द्वारा मजमें आम खुले में नामान्तरकरण संख्या 334 बावत पंचायत के कोरम के समक्ष मृतक समसू के अविवाहित फौत हो जाने के कारण इस्लाम का नाम अपनी रुढी व रीति रिवाजनुसार सन् 1981 में जोड लिया था। उक्त दस्तावेजात नामानतरकरण पंजिका में पंजीबद्ध है। जो पूर्ण जानकारीशुदा है। पर कोई गौर न कर मनमाना निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत खेडाबाढ रामगढ तहसील तलावडा द्वारा भरा गया नामान्तरकरण संख्या 334 पूरी जानकारी एवं दस्तावेजात का निरीक्षण एवं परीक्षण पश्चात् तस्दीक फरमाया गया है, जिसे वदस्तूर रखा जावे, तथा इकतरफा विना द्वितिय पक्ष सरपंच, खेडाबाढ रामगढ तहसील तलावडा एवं इस्लाम गोदपुत्र की सुनवाई न कर आनन फानन में मनमाना व द्वेषपूर्ण आदेश दिनांक 27.01.2025 अन्तर्गत धारा 135 (2) भू.राज अधिनियम 1956 दोषपूर्ण पारित आदेश अपास्त किया जावे, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर किस्म प्रकरण 135 (2) एल.आर.एक्ट 1956 में पारित आदेश (निर्णय) दिनांक 27.01.2025 मंसूख फरमा कर ग्राम पंचायत खेडा बाढ रामगढ़ में तस्दीक नामान्तरकरण सख्या 334 वदस्तूर रखने हेतु निवेदन किया है।

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवज निम्नानुसार है।

1. न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने अपने मु0नं0 10/2005 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2006 द्वारा अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 334 दिनांक 20.09.2005 ग्राम जैतपुर ग्राम पंचायत खेड़ाबाढ रामगढ निरस्त किया गया तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान को सुनकर मृतक सुगरा के जायज वारिसान के संबंध में विचार कर पुनः नामान्तकरण को निर्णित करने का निर्णय पारित किया गया।

2. न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के अपने अपील सं0 32/2006 उनवान इस्लाम बनाम शहजादी में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2010 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय (उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2006) निर्णय दिनांक 25.11.2006 यथावत रखा गया।

3. न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा मु0नं0 890/11 उनवान इस्लाम बनाम शहजादी में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2019 के अनुसार [illegible] वानी निगरानी में पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है तथा [illegible] को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा न ही किसी भी की कोई अग्रिम [illegible] करवाना चाहता है तथा इसी स्तर पर निगरानी को खारिज किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:21:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 91/25 उनवान सुबेदार ब अन्य बनाम इस्लामुद्दीन व अन्य

4. अर्थात न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने अपने मु0नं0 10/2005 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2006 द्वारा अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 334 दिनांक 20.09.2005 ग्राम जैतपुर ग्राम पंचायत खेड़ाबाढ रामगढ निरस्त किया गया तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान को सुनकर मृतक सुगरा के जायज वारिसान के संबंध में विचार कर पुनः नामान्तकरण को निर्णित करने का निर्णय यथावत रहा है।

5. पत्रावली के अनुसार ग्राम सुगरा के जायज वारिसान निम्नानुसार है।

सुगरा पत्नि श्री इस्माईल
!
____
! ! ! !
इस्माईल मृतक(पति) | समसूद्दीन मृतक नाऔलाद(पुत्र) | शहजादी पत्नि मोलावक्स (मृतक) (पुत्री) | जुमरत पत्नि इस्माईल (मृतक) (पुत्री)
! !
____________________ !
! ! ! !
ईस्लामुद्दीन (पुत्र) अहसान (पुत्र) रूकसाना(पुत्री) !
!
____
! ! ! ! !
खुर्शीद (फौत) | वकील | आबिद | रहीस | बिस्मिला(पुत्री)
!
!
____
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
इस्ताक (पुत्र) | इसरार (पुत्र) | इस्फाक (पुत्र) | जमीला (पत्नि) | नजमुन (पुत्री) | घोड़ी (पुत्री) | सबीना बानों (पुत्री) | सजिया (पुत्री) | इसराना बानों (पुत्री) | आसिफा बानों (पुत्री)

6. अपीलार्थी/प्रार्थी पक्ष द्वारा एक गोदनामा की प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार सुगरा पत्नि इस्माईल खॉ निवासी जैतपुर द्वारा दि[illegible] .81 को पंचों के सामने श्री फूलचन्द्र मीना, मोती मीना, रामदेव मीना, बद्री मीना प्र[illegible] मीना [illegible]वासी मुराडा , रामस्वरूप मीना निवासी कोटरी, उकांर मैम्बर निवासी माधीपुर, [illegible] खॉ, धरमी, रहीम नाई, जबरद्दीन,गणपत पटवारी, रामल्या, क[illegible] खॉ निवासी पीलवा वालों के सामने सुगरा ने इस्लाम पुत्र श्री नसरूद्दीन को अपनी जायदाद [illegible] मालिक बना लिया और

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:21:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

आगे से इस्लाम मेरा बेटा रहेगा और मेरी पुरी जमीन मकान सारी जायदाद का मालिक आज से इस्लाम रहेगा अंकित है।

7. अपीलार्थी/प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त गोदनामे के आधार पर एक दावा मु0नं0 231/22 उनवान इस्लाम बनाम संरपच व अन्य बाबत् आदेशात्मक व्यादेश एवं स्थायी व्यादेश न्यायालय ग्रामीण न्यायालय गंगापुर सिटी में प्रस्तुत किया हुआ है। जिसकी प्रति भी अपीलार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। जिसमें लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावड़ा प्रतिवादीगण 2 के रूप में पक्षकार है। जिसमें वादी इस्लाम द्वारा मृतक सुगरा का वास्तविक वंशज होने के कारण तहसील तलावड़ा का पूर्व से ही राजस्व रिकोर्ड में अंकन को यथावत् बाबत् आदेशात्मक व्यादेश फरमाने हेतु निवेदन किया है।

8. नामान्तकरण सं0 334 में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि आज दिनांक 20.09.05 को ग्राम पंचायत के कोरम के समक्ष नामान्तकरण पेश हुआ। उपस्थित सदस्यों ने बताया कि मृतक सुगरा पत्नि इस्माइल के एक पुत्र समसु तथा दो पुत्रीयों है। समसु वर्ष 1980 में अविवाहित फौत हो जाने पर मृतक सुगरा ने अपने जेठ रहमान के पुत्र नसरू के पुत्र इस्लाम को धार्मिक रिती रिवाज से वर्ष 1981 में गोद लेकर गोद नामा एक रू के स्टाम्प पर लिखा हुआ है और वहीं से इस्लाम मृतक सुगरा के यहॉं पुत्र की रहकर पुत्र के सभी कार्य करता आ रहा है। मृतक सुगरा का अन्तिम संस्कार भी इस्लाम द्वारा ही किया गया है। अतः कोरम ही सर्व सम्मति से मृतक सुगरा व समसु के नाम अंकित खातेदारी भूमि का नामान्तकरण इस्लाम दत्तक पुत्र के नाम स्वीकार किया जाता है।

9. उक्त विवादित भूमि खं0नं0 24/858 रकबा 0.06 है0, खं0नं0 26/856 रकबा 0.20 है0, खं0नं0 28/857 रकबा 0.05 है0, खं0नं0 29 रकबा 0.36 है0, खं0नं0 30 रकबा 0.37 है0, खं0नं0 30/860 रकबा 0.32 है0, खं0नं0 31 रकबा 1.25 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.61 है0 इसलाम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 30.07.2009 को श्रीमति मनभर देवी धर्मपत्नि श्री हीरालाल व श्रीमति भूली देवी धर्मपत्नि श्री हीरासिंह जाति गुर्जर को बेचान की जा चुकी है तथा उक्त भूमि में से कैलाशी देवी, तोफा देवी, भागचंद, रूकमकेश, रामकेश, लछमा देवी, सरवनसिंह एवं मनभरदेवी द्वारा खं0नं0 29 रकबा 0.36 है0, खं0नं0 30 रकबा 0.37 है0, खं0नं0 30/860 रकबा 0.32 है0, खं0नं0 31 रकबा 1.25 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.30 है0 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलार्थी कमलेश गुर्जर पुत्र श्री रामकिशन गुर्जर व सूबेदार गुर्जर पुत्र श्री रामकिशन गुर्जर को बेचान की जा चुकी है। जो दिनांक 01.10.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 27 में पृष्ठ संख्या 148 कम संख्या 202403199100224 पर पंजीबद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 73 के पृष्ठ संख्या 184 से [illegible] किया गया है।

10. राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 के तहत तहसीलदार को पंजीकृत दस्ता[illegible] शून्य घोषित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। जबकि [illegible] किया पत्र अपीलार्थी कमलेश गुर्जर पुत्र श्री रामकिशन गुर्जर व सूबेदार गुर्जर पुत्र श्री [illegible]किशन गुर्जर को बेचान की जा चुकी है। जो दिनांक 01.10.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 27 में पृष्ठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 91/25 उनवान सुबेदार ब अन्य बनाम इस्लामुद्दीन व अन्य

संख्या 148 कम संख्या 202403199100224 पर पंजीबद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 73 के पृष्ठ संख्या 184 से 193 पर चस्पा किया गया है।

11. पूर्व में ग्राम पचांयत द्वारा मजमें आम में गोद नामें के आधार पर तस्दीक नामान्तकरण को न तो रद्द करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है एवं न ही पंजीकृत विकय पत्र/बेचान नामे के आधार पर राजस्व रिकोर्ड अंकित प्रविष्टी में कोई फेरबदल करने का अधिकार है।

12. न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने अपने मु0नं0 10/2005 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2006 के अनुसार तहसीलदार को उभयपक्षकारान को सुनकर मृतक सुगरा के जायज वारिसान के संबंध में विचार कर पुनः नामान्तकरण को निर्णित किया जाना चाहिए था। लेकिन तहसीलदार द्वारा मु0नं0 10/2005 के पक्षकार इसलाम व ग्राम पंचायत को नहीं सुना गया है। पक्षकारान को बिना सुनवाई तहसीलदार द्वारा पारित आदेश न सिर्फ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के निर्णय , अपितु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण स्वतः विधि विरूद्ध होने से रद्द किए जाने योग्य है।

अतः परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार तलावड़ा के रिमाण्ड पत्रावली 01/22 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 135 (2) में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार तलावड़ा को निर्णय की प्रति पृथक से प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश दिनांक 27.01.2025 के अनुसरण में यदि कोई नामान्तकरण तस्दीक किया गया है तो उसे निरस्त कर पालना रिपोर्ट पन्द्रह दिवस में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

सुदर्शन सिंह तोमर (R.A.S)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
मु० गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:38 IST
Reason: SelfAttested